रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 361] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 18, 2006/चैत्र 28, 1928

No. 361] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 18, 2006/CHAITRA 28, 1928

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2006

का.आ. 550(अ).—केन्द्रीय सरकार विद्युत अधिनियम, 2003 (इसके बाद अधिनियम संदर्भित किया गया है) की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि निम्नलिखित धनराशि से अधिक अनुमानित पूंजीगत व्यय वाली किसी भी विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा स्थापित किए जाने वाले जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों की स्कीम को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (इसके बाद प्राधिकरण संदर्भित किया गया है) की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाएगा, नामशः :—

1. दो हजार पांच सौ करोड़ रुपए बशर्ते कि—

(क) स्कीम अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा यथा अधिसूचित राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) में शामिल हो और स्कीम एनईपी में यथा उल्लिखित क्षमता व प्रकार (रन-आफ-रिवर/स्टोरेज) के अनुरूप हो;

(ख) जल विद्युत उत्पादक स्टेशन की स्थापना हेतु स्थल का आवंटन अधिनियम की धारा 63 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पारदर्शी बोली प्रक्रिया के जरिए किया गया हो।

2. उपरोक्त पैरा 1 के खण्ड (क) और (ख) में शामिल न की गई अन्य स्कीम के लिए पांच सौ करोड़ रुपए।

[फा. सं. 23/28/2003-आर एण्ड आर]

यू. एन. पंजियार, अपर सचिव